श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 04.11.2016 को खगड़िया,अलौली,एवं मानसी प्रखंड के संवेदनशील घाटों का निरीक्षण टिप्पणी।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया/अलौली, अंचल अधिकारी, खगड़िया/अलौली/मानसी एवं थानाध्यक्ष खगड़िया/अलौली के साथ खगड़िया शहर, अलौली एवं मानसी प्रखंड के संवेदनशील घाटों का निरीक्षण किया गया, जो निम्नप्रकार है:-

1.**<u>बलुआही घाट:-</u>**

बूढ़ी गंडक पुल से पूरब स्थित बलुआही घाट वार्ड नं0-26 का निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि यह घाट अतिसंवेदनशील है तथा गहरा पानी है। इस घाट पर दोनों तरफ अर्घ्य दिया जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को घाट पर रोशनी एवं साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही घाट को चार (4) फीट से अधिक पानी वाले क्षेत्र को बैरिकेडिंग कराकर प्रतिबंधित करने तथा लाल झंडा लगाने एवं घाट के किनारे स्थित बोल्डर को हटाने का निदेश दिया गया। घाट के कुछ क्षेत्र में दल-दल एवं कीचड़ पायी गयी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को दल-दल एवं कीचड़ वाले क्षेत्र को बांस से घेराबन्दी कराने का निदेश दिया गया। पृच्छा किये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि घाट पर 02 गोताखोर, एस0डी0आर0एफ0 की टीम की प्रतिनियुक्ति की गयी है तथा सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाया जायेगा एवं वाच टावर रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद, खगड़िया को निदेशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होने पाये।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया)

2.**<u>अघोरी स्थान घाट:-</u>**

अघोरी स्थान स्थित घाट का निरीक्षण किया गया। घाट पर पक्का का सीढ़ी बना हुआ पाया गया तथा कुछ क्षेत्र में सीढ़ी नहीं है लेकिन बोल्डर पीचिंग किया हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि यह घाट अतिसंवेदनशील है तथा यहॉ पर गहरा पानी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस घाट पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जायेगा तथा छठ व्रतियों को कपड़ा बदलने हेतु चेन्जिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है। घाट के बगल अघोरी स्थान मंदिर के किनारे वाले क्षेत्र में कुछ कपड़े एवं कचरा पाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को कचरा तथा घाट की साफ-सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था कराने तथा चार (4) फीट से अधिक पानी वाले क्षेत्र को बांस से बैरिकेडिंग कराकर प्रतिबंधित करने एवं लाल झंडा लगाने का निदेश दिया जाय।

अघोरी स्थान स्थित मंदिर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि अघोरी स्थान मंदिर के बगल में नगर परिषद खगड़िया का एक सामुदायिक भवन है जिसमें कुछ लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,खगड़िया को अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को हटाने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्ता, खगड़िया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा धार्मिक न्याय परिषद, पटना से पत्राचार करेंगे कि यह मंदिर धार्मिक न्यास परिषद द्वारा चिन्हित है या ऐसे ही कुछ लोग रह रहे हैं।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया, अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

3.सीढ़ी घाटः–

सीढ़ी घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सीढ़ी घाट पर मिट्टी गिला है तथा कीचड़ है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.11.2016 को शाम वाले अर्ध्य के दिन सुबह में पुआल/काश बिछाकर अर्ध्य देने लायक बनाया जायेगा। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा यह भी बताया गया कि इस घाट पर वाच टावर बनाया जा रहा है तथा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को घाट की साफ–सफाई, रोशनी की व्यवस्था एवं 4 फीट पानी के बाद बैरिकेडिंग कराने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को छठ के दिन निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाने का निदेश दिया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि इसके पूरब धोबी घाट एवं अड्डा घाट है वहाँ पर भी साफ–सफाई, रोशनी एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया)

3.**विद्याधर घाटः–**

विद्याधर घाट का निरीक्षण किया गया। घाट पर काफी कीचड़ एवं दल–दल पाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.11.2016 को संध्या वाले अर्ध्य के दिन सुबह में पुआल/काश बिछाया जायेगा। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को निदेशित किया गया कि घाट की साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था तथा 3–4 फीट पानी तक बैरिकेडिंग कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,खगड़िया)

4.चातर घाटः–

चातर घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि घाट में पानी अधिक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा बताया गया कि यह घाट संवेदनशील

है। इसमें पानी अधिक है। अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली को निदेश दिया गया कि अधिक पानी वाले क्षेत्र को मजबूत बांस से 4 फीट पानी के बाद बैरिकेडिंग करा दिया जाय तथा घाट की साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था पूजा समिति से कराना सुनिश्चित किया जाय।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा थानाध्यक्ष, अलौली को निदेशित किया गया कि 3–4 फीट पानी के बाद काफी गहरा है, इसलिए इस घाट पर पुलिस बल एवं चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति किया जाय तथा यह सुनिश्चित कराया जाय कि कोई भी बच्चा पानी में प्रवेश नहीं करें।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली,थानाध्यक्ष, अलौली)

5.गढ़ढाला घाटः–

गढ़ढाला घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बांस से कराये गये बैरिकेडिंग काफी कमजोर है तथा बांस को नीचे अच्छी तरह से गाड़ा नहीं गया है एवं बांस के अन्तिम छोर पर इस तरह से बांधा गया है कि बांस पर दबाब पड़ने पर खुल सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, अलौली को निदेशित किया गया कि 4 फीट पानी के बाद अच्छी तरह से मजबूती के साथ बैरिकेडिंग कराये तथा घाट पर साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा बताया गया कि गत वर्ष इस घाट पर एक व्यक्ति डूब गया था। अंचल अधिकारी, अलौली एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली को विशेष चौकसी बरतने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, अलौली)

6.राजेन्द्र सरोवर घाटः–

राजेन्द्र सरोवर घाट का निरीक्षण किया गया। घाट पर जानवर बंधा हुआ एवं गन्दगी पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को घाट पर से जानवर को हटवाने, घाट की साफ–सफाई कराने, एवं रोशनी की व्यवस्था एवं 4 फीट पानी के बाद बैरिकेडिंग कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि इस घाट पर दो सरकारी वोट तथा स्थानीय गोताखोर की व्यवस्था की जा रही है।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया)

7.मटिहानी घाटः–

मानसी प्रखंड स्थित मटिहानी घाट का निरीक्षण किया गया। घाट पर काफी गंदगी पायी गयी। अंचल अधिकारी, मानसी को घाट की साफ–सफाई कराने एवं 4 फीट पानी के बाद बैरिकेडिंग कराने तथा स्थानीय पूजा समिति से रोशनी आदि की व्यवस्था कराने का निदेश दिया

गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी घाट पर डूबने की कोई घटना घटित नहीं होने पाये ।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, अंचल अधिकारी, मानसी / खगड़िया / अलौली)

जिलाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक 2067 / गो0, दिनांक 05/11/16

प्रतिलिपि: अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया / अलौली एवं मानसी अंचल अधिकारी, खगड़िया / अलौली एवं मानसी, थानाध्यक्ष, खगड़िया / मुफसिल / अलौली / मानसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया
5/11/16